न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03, गाजियाबाद।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–09/2024

संगणक पंजीयन सं०–936/2024

UPGZ010133732024

राज्य––––––––––**प्रति**––––––––––उम्मेद अली

अंतर्गत धारा–446 दं०प्र०सं०

थाना–लोनी, गाजियाबाद।

05.03.2026–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त उम्मेद की जमानत प्रतिभूगण उम्मेद अली व हनीफ द्वारा ली गयी थी। उक्त दाण्डिक प्रकरण अभियुक्त उम्मेद के प्रतिभू उम्मेद अली द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने में असमर्थ होने के कारण उसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। चूँकि प्रतिभू हनीफ पुत्र बुन्दु की मृत्यु वर्ष 2017 में हो चुकी है अतः हस्तगत न्यायालय के आदेश दिनांकितः 09.08.2024 के माध्यम से हस्तगत दांडिक प्रकरण प्रतिभू हनीफ के विरुद्ध पंजीकृत नहीं किया गया था। हस्तगत दांडिक प्रकीर्ण वाद में दिनांक 08.08.2025 को प्रतिभू उम्मेद अली द्वारा 75,000/– रूपये न्यायालय में जमा कराये गये थे तथा हस्तगत दांडिक प्रकीर्ण वाद संबंधित विशेष सत्र परीक्षण सं० 223/2011, राज्य–प्रति–उम्मेद, दिनांकः 17.02.2026 को अंतर्गत धारा–299 दं०प्र०सं० में समनुदेशित की जा चुकी है। चूँकि प्रतिभू उम्मेद अली द्वारा जमानत धनराशि न्यायालय में जमा करा दी गयी है। अतः हस्तगत दांडिक प्रकीर्ण वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिभू उम्मेद अली को उसके दायित्व से मुक्त किया जाता है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिभू उम्मेद अली को उसके दायित्व से उन्मोचित करते हुए दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–09/2024 राज्य–प्रति–उम्मेद अली निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार समानुदेशित की जाये।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,

गाजियाबाद।